भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

19 जून, 2015

छग सरकार द्वारा तीन हजार शालाओं को बंद करना–आर्थिक व शैक्षिक दिवालियेपन तथा जन विरोधी चरित्र का द्योतक है

राज्य की करीबन 3000 शालाओं को बंद करके छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्तमान शिक्षा सत्र 2015–16 की शुरुआत की। शालाओं में दर्ज संख्या कम होने का बहाना करके युक्तयुक्तिकरण के नाम पर इन तमाम शालाओं को बंद कर दिया गया है और वहां के शिक्षकों को नजदीकी शालाओं में स्थानांतरित किया गया है। इनमें से अधिकांश प्राथमिक व माध्यमिक शालाएं हैं और आदिवासी बहुल इलाकों विशेषकर बस्तर संभाग की हैं। इससे न सिर्फ छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की जन विरोधी व आदिवासी विरोधी चरित्र का एकबार और पर्दाफाश हुआ है बल्कि सरकार के आर्थिक व शैक्षिक दिवालियेपन भी प्रकट हुआ है।

दरअसल साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्मनाक शर्तों के तहत ही सरकारों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने व उनमें कटौती करने की जन विरोधी नीतियां अपनायी जा रही हैं। शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने, राज्य के गरीब आदिवासियों, दलितों व पिछडों को शिक्षा से वंचित करने व उनके विकास को अवरुद्ध करने की सरकारी साजिश के तहत यह अनुचित व अवांछित कदम उठाया गया है।

व्यवस्थापन खर्च को कम करने के नाम पर काफी पहले से ही शिक्षकों, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की स्थयी नियुक्ति पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षक, दैनिक वेतनभोगी, केजुअल व संविदा नियुक्ति आदि के नाम पर अस्थायी नियुक्तियां बहुत कम वेतन पर की जा रही हैं। अब सीधे राज्य के हजारों शालाओं को बंद कर दिया गया है। पहले से शालाओं व शिक्षकों की कमी, निरक्षरता की समस्या से जूझ रहे पिछडे आदिवासी इलाकों की शालाओं को बंद करके एक ओर वहां के बच्चों को शिक्षा से वंचित तो किया ही जा रहा है साथ ही शिक्षकों के दसियों हजार रिक्त पदों की भर्ती को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। पिछडे आदिवासी इलाकों के बेरोजगारों के सामने से रोजगार के अच्छे अवसर को भी छीन लिया गया है। छग सरकार के आर्थिक दिवालियेपन का आलम यह है कि अब वह शाला भवनों के निर्माण व शालाओं में उपलब्ध कराने वाली सुविधाओं जैसे ग्रंथालय, प्रयोगशाला, कापी–किताब, गणवेश, मध्यान्ह भोजन एवं नये शिक्षकों की भर्ती से उनके वेतन–भत्तों व अन्य सुविधाओं के लिए किये जाने वाले खर्च को बचाने की कवायद कर रही है।

आदिवासियों व आदिवासी इलाकों के विकास की रट लगाने वाले, टीवी व रेडियो में 'बच्चों, पढ़ो–लिखो, आगे बढ़ो' का ढोंगी विज्ञापन प्रसारित करने वाले एवं माओवादियों को शिक्षा विरोधी व विकास विरोधी करार देने वाले मुख्यमंत्री रमण सिंह एवं उनकी सरकार की असलियत शालाओं को बंद करने के निर्णय से जनता के सामने स्पष्ट हो गया है। अपने गांवों या गांवों के नजदीक में स्थित शालाओं में पढ़ने के लिए जाने में भी असमर्थ बच्चों खासकर लड़कियों के लिए अब शाला जाना दूर की कौडी साबित होगी। आर्थिक तंगी की वजह से मां–बाप के साथ बचपन से ही काम में जाने को अभिशप्त, घरेलु कार्यों, मजदूरी व खेती के काम में लग जाने की मजबूरी की वजह से अधिकांश बच्चे–बच्चियों को शिक्षा से वंचित होना पडता है। ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति के सुधारकर बच्चों को शिक्षित करने की बजाय सरकार द्वारा दर्ज संख्या कम होने का बहाना करके शालाओं को ही बंद करना गरीब व पीड़ित तबकों की शिक्षा के सरकार की घोर व साजिशाना लापरवाही के सिवाय और कुछ नहीं है। इससे महिला साक्षरता पर बुरा असर तो पडेगा ही, साथ ही आदिवासी महिला साक्षरता का मामला अंधेरी गर्त में चला जायेगा। देश के प्रधान मंत्री मोदी का नारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का खोखलापन भी इस निर्णय से जनता के सामने स्पष्ट हो गया है। इस तरह के नारे दरअसल जनता को धोखा देने व भ्रमित करने के लिए ही दिये जाते हैं। एक तरफ हजारों शालाओं व आश्रमों को बंद करके दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने यह घोषणा की कि वर्तमान शिक्षा सत्र में साढ़ छह लाख बच्चों को शाला प्रवेश दिलाया जायेगा। यह न केवल हास्यास्पद है बल्कि छल–कपट पूर्ण घोषणा है। पिछडों, दलितों व आदिवासियों विशेषकर इन तबकों की महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने वाले रमण सिंह एवं उनकी सरकार ही असल में आदिवासी विरोधी, शिक्षा विरोधी एवं विकास विरोधी है।

रमण सिंह के विकास का मतलब देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों का विकास है, उन्हें जनता के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को सौंपना है। उनके विकास का मतलब गरीब, पिछडों, दलितों व आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे खाना, कपडा, मकान, शिक्षा, इलाज, पीने का पानी, रोजगार आदि उपलब्ध कराना कतई नहीं है। रमण सिंह को यह डर है कि यदि आदिवासी शिक्षित हो जाएगा तो वह और जागरूक हो जायेगा, शोषाण व दमन के खिलाफ अपनी आवाज को और बुलंद करेगा, अपनी असली विकास व स्वयं शासन के लिए हथियारबंद लड़ाई को तेज करेगा।

बस्तर संभाग के कइयों शाला भवनों को आज भी पुलिस व अर्ध सैनिक बल अपना अड्डा बनाये हुए हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद यह बेरोकटोक जारी है। दूसरी ओर हमारी पार्टी के नेतृत्व में गठित जनताना सरकारों द्वारा संचालित शालाओं व आश्रमों को सरकारी सशस्त्र बलों ने निशाना बनाकर ध्वस्त किया था। नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाडा, सुकमा जिलों में संचालित करीबन दर्जन भर शालाओं व आश्रमों, वहां की कापी–किताबों, बच्चों की खाद्य सामग्री व अन्य दैनिक उपयोगी सामानों को पुलिस ने आग के हवाले किया था। इससे यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं होगा कि आदिवासियों की शिक्षा से सरकार किस तरह बौखलाती है।

हमारी पार्टी राज्य के तमाम छात्र–छात्राओं, शिक्षकों, पालकों व अभिभावकों, प्रगतिशील–जनवादी बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार संगठनों व आदिवासी, गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों का आह्वान करती है कि वे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शालाओं को बंद करने की शिक्षा विरोधी व जन विरोधी नीति का कड़ा विरोध करें एवं इसे वापस लेने की मांग को लेकर सड़क पर उतरें। बंद की गयी शालाओं को फिर से मूल स्थान में खुलवाने प्रभावित गांवों की जनता व शिक्षक आगे आएं।

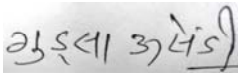

(गुड्सा उसेण्डी)

प्रवक्ता,

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)